

राजस्थान सरकार
कार्यालय वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक (सर्वेक्षण एवं अनु.)
भू जल विभाग, जयपुर ।

क्रमांक प.()वभूजवै/भूजवि/जय/2011/ 714

दिनांक: 21.03.2012

Director General
Air Force Navel Housing Board
Air Force Station Race Course
New Delhi.

विषय:- नलकूप^{में} पम्प लगाने की सक्षम स्वीकृति दिये जाने बाबत ।

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा दिनांक 16.03.2012 को प्रतिबंधित क्षेत्र में नलकूप निर्माण के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में आपके प्रार्थना पत्र पर विचार विमर्श किया गया आप द्वारा ग्राम बायोटावाला तहसील, जयपुर में नलकूप पम्प लगाने की अनुमति चाही है के सम्बन्ध में निवेदन है कि नलकूप में पम्प लगाने का कार्य बिना वेधन इकाई के किया जाता है । अतः इस हेतु किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सक्षम अधिकारी द्वारा आपको CGWA के निर्देशानुसार नोटिफाईड क्षेत्र होने के कारण कृत्रिम भू जल पुनर्भरण की संरचना निर्माण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह अनुमति पर्यावरण अधिनियम 1986(290)/ 1986 एसओ 38(ई) दिनांक 14.01.1997 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दी गयी है। राजकीय विभागों में बनाये जाने वाले नलकूपों पर 4 इंच व्यास की पाबन्दी लागू नहीं है।


वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक एवं सदस्य सचिव

भू जल सलाहकार समिति, जयपुर।